कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1917/12–1 देहरादूनः दिनांकः 27 जनवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–3

विषयः– **जनपद बागेश्वर में असौ से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10063/2015)

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड संरकार की पत्र सं0 805/X-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07–09–2015।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 736/12–1(2) दिनांक 18–09–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र0सं0	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यपावर्तित भूमि के बदले 2.8 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पाक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.8 है0 ग्राम कर्मी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रु0 2,27,895.00 (दो लाख सत्ताईस हजार आठ सौ पिचानवे) मात्र की धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR NO. SBIN5201605630267852 दिनांक 26–05–2016 द्वारा जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.8 है0 ग्राम कर्मी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 55/छब्बीस वन/2015–16 दिनांक 19–01–2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रु0 8,00,000.00 (आठ लाख) मात्र की धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR NO. SBIN5201605630267852 दिनांक 26–05–2016 द्वारा

		जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पटीशन (सिविल) 202/1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12-1-2 दिनांक 13-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पटीशन (सिविल) 202/1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR NO. SBIN5201605630267852 दिनांक 26-05-2016 द्वारा रु0 11,83,000.00 (ग्यारह लाख तिरासी हजार) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12-1-2 दिनांक 13-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण से UTR NO. 601602024020241180 दिनांक 02-02-2024 से जमा करवा ली गई है। **(संलग्नक–3)**
5	भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा अन्य दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधिप्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय के लेखा सं0 एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12-1-2 दिनांक 13-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० तथा अन्य दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधिप्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जेनरेट चालान के माध्यम से UTR NO. SBIN5201605630267852 दिनांक 26-05-2016 द्वारा रु0 22,10,895.00 (बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानवे) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 एवं भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधिप्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय के लेखा सं0 एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन ऑख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12-1-2 दिनांक 13-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० तथा अन्य दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधिप्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जेनरेट चालान के माध्यम से UTR NO. SBIN5201605630267852 दिनांक 26-05-2016 द्वारा रु0 22,10,895.00 (बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानवे) मात्र जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

	विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत है। **(संलग्नक–4)**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
9	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी शर्त का अनुपालन न होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि शर्त सं0 09 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 693/12–1–2 दिनांक 13–08–2024 से अवगत कराया है कि शर्त सं0 10 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1917 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

17

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 736 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18/09/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या– FP / UK / ROAD / 10063 / 2015)

सन्दर्भ :– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0– 805 / X-4-15 / 1(451) / 2015 दिनांक– 07.09.2015

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक – 693 / 12-1(2) दिनांक 13.08.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– (मूल में) तीन प्रतियाँ।

भवदीय

(डॉ० कोको रोसे)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कुमारी बागेश्वर
आ० का० केर,

प्र० वन० / नोट
23-9-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 693 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 13 / 08 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध । (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10063/2015)**

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 805 / x-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07.सितम्बर.2015।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.8 है0 ग्राम कर्मी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 2,27,895.0 मात्र (रू0 दो लाख सत्ताईस हजार आठ सौ पिचानवे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा जमा किया जा चुका है (संलग्न–1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.8 है0 ग्रा कर्मी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं 55 / छब्बीस वन / 2015–16 दिनांक 19.01.2016 द्वारा वन विभाग के ना हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।(संलग्न–2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 8,00,000.0 मात्र (रू0 आठ लाख मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्य से UTR No.SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा जमा किया ज चुका है।(संलग्न–1के अनुसार)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायाल के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से UTR N SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 11,83,000.00 मा (रू0 ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) रू0 जमा की जा चुकी (संलग्न–1के अनुसार)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्त होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये ज हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरि एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR N 6016020240202411480 Dtd 02.02.2024 से जमा करवाली गयी

		(चालान की प्रति संलग्न)(संलग्न– 3)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 22,10,895.00 मात्र (रू0 बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानबे मात्र) रू0 जमा की जा चुकी है (संलग्न 01के अुनसार)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0बी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 22,10,895.00 मात्र (रू0 बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानबे मात्र) रू0 जमा की जा चुकी है (संलग्न 01के अुनसार)।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत है। (संलग्न–4)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की छायप्रति संलग्न है। संलग्न-5
9	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 09 हेतु सहमत है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

<u>संलग्न–चार प्रतियों में</u>

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

PWD UTTARAKHAND

प्राप्त 3/8/24

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1742/2ई0

दिनांक 03/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में असौं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10063/2015)

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0 805(1)/X-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07 अगस्त, 2015

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में असौं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। आपके कार्यालय पत्रांक सं0 2469/12–1 दिनांक 30.03.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की गयी थी। (पत्र की छायाप्रति संलग्न) परन्तु आतिथि तक विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है0 सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभा वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि 800000.00 दिनांक 26.05.2016 को चालान SBINR 5201605630267852 द्वारा जमा करा गयी हैं। **छायाप्रति संलग्न है।**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल आस--पास पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारो वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु प्रभा वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि 227895.00 दिनांक 26.05.2016 को चालान SBINR 5201605630267852 द्वारा जमा करा गयी हैं। **छायाप्रति संलग्न है।**

601
03/8/2024
12-1-2

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानुर एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिका बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिक कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्च अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई-चालान जनरेट क कुल धनराशि रु0 1183000.00 का भुगतान चालान र SBINR 5201605630267852 Dated 26.05.2016 द्वा जमा कर दिया गया है। **छायाप्रति संलग्न है।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	बिन्दु सं0 4 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है। **बचनबद्ध प्रमाण पत्र संलग्न है।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों की प्रतिपूर्ति पैधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारल सरकार उपकम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 कांम्पलैक्स फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली -110003 में जमा की जायेगी।	बिन्दु सं0 5 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रयोक अभिकरण द्वारा नये दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि र रु0 224294.00 UTR No 6016020240202411480 दि 02.02.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। **छायाप्र संलग्न है।**
6	प्रयोक्ता अभिरकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के तहत आई0ए0स0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधम तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो उपलब्ध होने के पश्चात ही मान्य होगी।	बिन्दु सं0 5 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। प्रयोक अभिकरण द्वारा नये दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि र रु0 224294.00 UTR No 6016020240202411480 दि 02.02.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। **छायाप्र संलग्न है।**

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	बिन्दु सं0 7 हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। भूवैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्र की **छायाप्रति संलग्न।**
9	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	बिन्दु सं0 9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	बिन्दु सं0 10 हेतु मान्य है।

संलग्न–अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय,
03/08/24
(इं0 अमित कुमार पटेल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट
03.08.2024

पत्रांक /2ई0 दिनांक /08/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट

संख्या: 806 /X-4-15/1(451)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांक 07 अगस्त, 2015

विषयः जनपद-बागेश्वर में अंशू से बसकूणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 451/FP/UK/ROAD/10063/2015 दिनांक 17 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद **बागेश्वर में अंशू से बसकूणा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन की **सैद्धान्तिक** स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0एन0-11-09-/98 एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश सं0 एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतयावर्तित भूमि के बदले 2.8-हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-- 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 मे जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधियत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 805 (1)/ X-4-15/1(451)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग। ।
6. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 कपकोट।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

सेवगन-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 2629 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 15 /03/2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0 नि0 विभाग
कपकोट

विषय – जनपद बागेश्वर में असौं से बसकुना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 245/2ई0व0भू0, दिनांक 19.02.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल (है0 में)	दर (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	1.40	8.45	11.83
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.8	–	227894.50
3	(अन्य मॉग) सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण	–	–	8.00

अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

(1)

I-(1)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 29-03-2016

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	ROAD100032015471
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBageshwar
Amount(In Rs)	2210895/-

Amount In Words :Twenty-Two Lakh Ten Thousand Eight Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000033
Pay to Account No.	15000ROAD100032015471
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

SBINR52016053026 7852

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

29 MAR 2016

SBINR

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

संलग्न- 2 (1)

आदेश

उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 12 जनवरी, 2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असों से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.40 है0 की दुगनी अवनत वन भूमि 2.800 है0 जो ग्राम कर्मी पटवारी क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 156 के पैमाईशी खेत नम्बर 12171 रकबा 3.333 है0, मध्ये 2.800 है0 कुल रकबा 2 800है0 श्रेणी 9(3)ख (अन्य प्रकार के वन) के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 805/X-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07 सितम्बर, 2015 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 2.800 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या - 55/ छब्बीस वन /2015-16 दिनांक 19/01/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1--प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2--अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड कपकोट।

3-- उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4--तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

Q-(1)

(1)

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 89/ र०का०/कपकोट/व०भू०ह०/2015–16/दिनांक 23/01/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० विभाग कपकोट (बागेश्वर) पत्रांक 28 94 दि० 06/02/16

विषय :– ***जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असों से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 1.40 है० वन भूमि की दुगुनी 2.800 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।***

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या 55/छब्बीस वन/ 2015–16 ,दिनांक 19/01/2016 के क्रम में ग्राम कर्मी पटवारी क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 156 के पैमाईशी खेत नम्बर 12171 रकवा 3.333 हैक्टेयर, मध्ये 2.800 हैक्टेयर, कुल रकवा 2.800 हैक्टेयर भूमि श्रेणी 9(3) ख (अन्य प्रकार के वन) क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

AE II/ अनु०

तहसीलदार
कपकोट।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

ग्राम- कर्मी खा० ३० निरीक्षक कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर ①

१-ई (३) रव २ :- अन्य प्रकार के वन :- २-(।)

खा०नं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा नाली मुट्ठी	—	विवरण
१	जंगल	३६०३	५६२।।		जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश ५५/ एक तहसीलदार/२०१५-१६ दिनांक १९/०१/२०१६ व शासनादेश संख्या २१७३/XVIII(II)/२०१२-१६(१२८)/२०१२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ व उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या ८०५/X-४-१५/१(४५१)/२०१५ दिनांक ०७ दिसम्बर २०१५ में दी गयी शर्तों के अधीन NKA फाइल सं.१५६ के पैमाइशी खेत नम्बर १२१७१ रकबा ३.३३३ है० मध्ये २.८०० है० कुल रकबा २.८०० है० श्रेणी १(३) ख (अन्य प्रकार के वन) के रूप में दर्ज भूमि लो०नि०वि० बागेश्वर के असों से बघडना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि १.४० है० की दुगुनी २.८०० है० वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जाता है।
		३६०४	४५०।		
		३६०५	८६।।		
		३६०६	५९।=		
		३६०८	२९८		
		३६०९	४५०		
		३६१०	८९।		
		क्रमशः			
		१२१६०	११६=		
		१२१६१	१६०।।=		
		१२१६३	९।–		
		क्रमशः			
		१८२९१	४३।।।		
		१८२९२	८०=		
		१८२९३	२९।≡		
		१८२९४	२१।।।–		
	योग →	१३१	२४४९८।।	—	

Sd/-
१५/१

महोदय
आदेश के अनुपालन में अमल किया
Sd/-
राजस्व निरीक्षक
२३/१/१६

Photo Copy attested
Sd/-
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

प्रतिहस्ताक्षरित
Sd/-
तहसीलदार
तहसील कपकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/10063/2015** योजना **जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.40 है0** वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम कर्मी में **2.80 है0** सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक संख्या 55/छब्बीस – वन /2015–16 दिनांक 19.01.2016 से हस्तान्तरित/आवन्टित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि श्रेणी 9 (खाते से बाहर की भूमि) (un measured Land) के अन्तर्गत 9(3)ख(2) के रूप में दर्ज हैं। जो कि अधिसूचना संख्याः 869–एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के तहत संरक्षित वन घोषित है। (अधिसूचना संलग्न)

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी बागेश्वर।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare/other.JEO .docx"

REVENUE (FORESTS) DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

The 17th October 1893

869 F
No. 638.44- In exercise of the powers conferred on him by section 28 of the Indian Forest Act, VII of 1878, the Hon'ble the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces and Chief Commissioner of Oudh is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the above mentioned Act, VII of 1878 ,applicable to the following forest lands waste lands which are not included in reserved forests:-

(1) The forest lands and waste lands of the Garhwal District which do not form part of the measured areas assigned to villages.

(2) The forest lands and waste lands of the Almora district, which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forests known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 177 dated 26th February 1879 as revised by Notification No. 99, dated 31st January 1883

- M-chor
- Bhatronj
- Siuni
- Siun
- Belekh
- Kathalekh
- Gania deoli
- Karchuli
- Chilianao.
- Chaubattia.
- Padholi
- Dwarson.
- Siahi Devi
- Airadeo

(3) The forest lands and waste lands of the Naini Tal subdivision of the Naini Tal district which do not form part of the measured areas of villages, and are not included in the demarcated protected forest known as-

Declared to be 'protected' by Notification No. 149, dated 21st February 1879 as revised by Notification No. 133F/539-13 dated 21 March 1887.

- China
- Badlakote
- Nalua
- Bhawali
- Jakh.
- Laria Kanta
- Kuria

....

TRUE COPY

(G. S. S. KHATI)
Asstt. to Addl. Chief Conservator of Forests,
(Management),
U.P., Nainital.
dt. 12-4-1983

संलग्न-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स न0 05963-220209

पत्रांक 1031 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 16/ 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट,

विषय – जनपद बागेश्वर में अशु से बसकूना मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.4 है0 वन भूमि मे अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
एन0पी0वी0	1.4 है0	5	0.3	1005210.00	14,07,294.00	11,83,000.00	2,24,294.00
	कुल योग				14,07,294.00	11,83,000.00	2,24,294.00

स.अ.-IV / वनभूमि हस्तांतरण
ह0
अ.अ.

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

Scanned with ACE Scanner

(3)

3-(1)

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6110063879
MoEF/SG File No.	1(451)/2015
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	224294/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21 1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Two Lakh Twenty-Four Thousand Two Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should on be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitt me in Additional Information 1
- Enter the Remitte bile number in Additional Information 2

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWDKAPKOT
PIF/Application No.	6110063879
MoEF/SG File No.	1(451)/2015
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTEBagesh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	cdpwdkapkot@gmail.com 9639377012 5963-253385
Amount(In Rs)	224294/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Two Lakh Twenty-Four Thousand Two Hundred and Ninety-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successf payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes

Note:After making the quired payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working da , then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@un bankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankol

UTR No 60160202402024||480

Dt .02.2024

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD100632015879&INVLD

sh-Book Voucher No. 45 Date. 17/1/2024 ..20

Paid by Cheque/Cash/Rupees (2214294:00) to Sri.......................

Paid by me: .... ३० ३० ....

RECEIVED for the .... in charge of ....

Sub-Divison .... A.E. .... Division the sum of Rs.

........................) Name of work * or purpose for which payment is

made ....

(Amount in Vernaculer)

PAID VIDE CHEQUE

I.D.NO. ....

Date .... 20 DATED. 17/1/024

C/s for Rs: 2214294

Withses

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

Signature of Payees

Ex. Eng

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

3(111) ②

प्रपत्र– 2.37

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में असौं बराकुना मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय /भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,कपकोट

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

संलग्न-5 (9)

भू वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत अरौं से बराकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु [illegible] वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण तरह अनुपालन किया जायेगा।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

संलग्न-5
41.6.5

प्रपत्र—23.3

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में अरों से बसकूना तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

जनपद बागेश्वर में **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में अरों से बसकूना तक 4.00 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु **1.400 हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

जिला अधिकारी
बागेश्वर

5 (1) 41.6.9

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में असौं से बराकूना तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर में **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में असौं से बराकूना तक 4.00 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु **1.400 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिला अधिकारी
बागेश्वर.

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

5-111

2.24.1

वन पंचायत बराकूना की बैठक कार्यवाही

दिनांक 11.12.2014 को वन पंचायत **बराकूना** की बैठक हुई जिसमें अशी से **बराकूना तक 4.00 किमी0** मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है। उक्त भूमि का प्रस्ताव ऑनलाइन हो चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा वन पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित भेजने को लिखा गया है।

आज दिनांक 25.7.2015 को वन पंचायत बराकूना की आम बैठक की गयी, जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 दीवान सिंह

सरपंच

सरपंच वन पंचायत बराकूना
पो0 अशो कपकोट

दिनांक :- 25-7-2015

स्थानः- ग्राम - बराकूना (कपकोट)

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दीवान सिंह

सरपंच

सरपंच वन पंचायत बराकूना
पो0 अशो कपकोट

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

1. डुंगर सिंह - डुंगरसिंह
2. गोविंद सिंह गोविन्द सिंह
3. केशर राम केशर राम
4. हीरा देवी हीरा देवी
5. कमला देवी कमला देवी
6. दीपा देवी दीपा देवी
7. मन्दी देवी मन्दी देवी
8. अंबार दत्त [illegible]
9.

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

A 1.61

5-(111)

प्रारूप–1.6

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में असों से बसकूना तक 4Km m/R तथा 2 सेतु का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बसकूना
तहसील कपकोट जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र जनपद बागेश्वर में असों से बसकूना तक 4Km m/R तथा 2 सेतु का कार्य ......परियोजना

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ......परियोजना के निर्माण हेतु (– 0 – हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.70 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.70 हे0, वन पंचायत भूमि —— हे0) अर्थात कुल 1.40 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बसकूना द्वारा दिनांक 11/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बसकूना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– (signature)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र......
वि0ख0–.....कपकोट. (बागेश्वर)

(signature) 12-1-15
सहायक उपनिरीक्षक

प्रधान
ग्राम पंचायत बसकूना पो0असों
वि0ख0 कपकोट बागेश्वर
263642
ग्राम प्रधान

तहसीलदार
तहसील ... कपकोट

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

A-1.6.2

5-44

बैठक में सर्वसम्मति से [illegible] कपकोट परगना के अन्तर्गत [illegible] से बास्कुना तक मोटर मार्ग। 2 किमी का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु [illegible] लो०नि०वि० कपकोट हेतु [illegible] प्रयोगता एजेंसी को आवंटित/ सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त [illegible] किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
Sub Divisional Magistrate
Kapkot (Bageshwar)
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sub Divisional Magistrate
Kapkot (Bageshwar)
उपजिलाधिकारी
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

सहायक [illegible] कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

सत्य प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

A-1.6.3

5-V

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

असों से बसकुला तक PMGSY मोटर मार्ग +2 हेतु का नव निर्माण।

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.70 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.70 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.40 हे0 वन भूमि) का ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री कैलाश टोलिया उपजिलाधिकारी ———— Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar) अध्यक्ष

श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— बागेश्वर सदस्य

[illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— [illegible] सदस्य / सचिव

श्री प्रताप सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र गड़ेरा सदस्य

क्षेत्र पंचायत गड़ेरा

उपखण्ड स्तरीय बागेश्वर सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

असों से बसकुला तक PMGSY मोटर मार्ग +2 हेतु का नव निर्माण परियोजना हेतु..........हे0 वन भूमि

लो0 नि0 वि0 कपकोट , बागेश्वर

———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट

5(-VI) A1.6.4

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 25/12/2017 at time 2:00 at Bageshwar in which application claiming rights in **Asho Baskuna** area measuring **1.400** hect for the Construction of **Asho Baskuna motor road (4.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated:

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

जिला अधिकारी
बागेश्वर।